है कि ऐसी कोई सांठ-गांठ नहीं है। दो मामले जरूर ऐसे आए थे जहां हमें शक हुआ था, लेकिन उन में कोई चीज साबित नहीं हो सकी है। फिर भी उन दोनों अफसरों को हम ने वहां से ट्रांसफर कर दिया है। दूसरे, जहां तक नियमों को कड़ा बनाने का प्रश्न है, निश्चित रूप से ये नियम और कड़े बनाए जाएंगे।

Joint venture between SBI and Canara Bank in Russia

*292. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the Minister of FINANCE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the State Bank of India and Canara bank have formed a joint venture Commercial Bank of India in Russia;

(b) if so, what are the main objectives of this joint venture; and

(c) by when this new bank is likely to commence operations?

THE MINISTER OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) and (b) Yes, Sir. The main objectives of this joint venture is to have a presence of Indian Banks in Russia.

(c) As soon as all formalities are cleared.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, the hon. Finance Minister has said that formalities are being worked out. I would like to know whether joint-venture commercial banks are being proposed in any other country also, apart from Russia.

SHRI JASWANT SINGH: Sir, we do have Indian's banking operation not only in Russia, but they are also operating in various other countries of the world. Every such effort on the part of Indian banking is not only to simply make the Indian banking international, but to spread the Indian banking network, as widely as possible in the world.

**293 [The questioner (Shri Aimaduddin Ahmad Khan (Durru) was absent. For answer vide page 39]*

बैंको में अनियमितताओं से संबंधित मामलों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सौंपा जाना

*294. श्री राम जेठमलानी:

श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन''†

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग को बैंकों में अनियमितताओं संबंधी मामलों के संबंध में जानकारी दी गई है;

†यह प्रश्न सभा में श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'' द्वारा पूछा गया।

(ख) यदि हां, तो 1999, 2000, 2001 के दौरान और सितम्बर, 2002 तक ऐसे कुल कितने मामले प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उपरोक्त मामलों में से कितने मामलों में जांच के बाद तथ्यों का पता लगाया गया है और दोषी लोगों की वर्ष-वार संख्या कितनी है?

वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सूचित किया है कि पदधारियों के कदाचार से संबंधित केवल वही मामले आयोग को सलाह देने हेतु सूचित किए जाते हैं, जिनकी सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सतर्कता शाखाओं द्वारा जांच की जाती है।

(ख) और (ग) वर्ष 1999, 2000, 2001 और 2002 (सितम्बर तक) के दौरान आयोग में प्राप्त सतर्कता मामलों की संख्या और इस अवधि के दौरान सतर्कता मामलों में जांच के बाद दोषी पाए गये अधिकारियों की संख्या निम्नलिखित है:—

वर्ष	केन्द्रीय सतर्कता आयोग में प्राप्त मामलों की संख्या	दोषी पाए गये अधिकारियों की संख्या
1999	2174	958
2000	1948	1037
2001	2311	555
2002 (सितम्बर तक)	1720	617

Reference of cases of irregularities in Banks to CVC

†294. SHRI RAM JETHMALANI:
SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN':#

Will the Minister of FINANCE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that information regarding cases of irregularities in banks has been given to the Central Vigilance Commission during the previous years;

† Original notice of the question was received in Hindi.

The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'

(b) if so, the total number of such cases received during 1999, 2000, 2001 and upto September, 2002; and

(c) the number of cases out of the above in which facts have been ascertained after investigation and what is the number of guilty persons year-wise?

THE MINISTER OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) to (c) A statement is placed on the Table of the House.

(a) The Central Vigilance Commission has reported that only those cases relating to misconduct of officials which are investigated by vigilance branches of public sector banks are reported to the Commission for seeking its advice.

(b) and (c) The number of vigilance cases received in the Commission during the years 1999, 2000, 2001 and 2002 (upto September) and the number of officers found guilty after investigations in vigilance cases during this period are given below:

Year	No. of cases received in CVC	No. of officers found guilty
1999	2174	958
2000	1948	1037
2001	2311	555
2002 (upto September)	1720	617

श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'': सभापति महोदय, 13 अक्टूबर के ''स्टेटसमेन'' में विजिलेंस कमिश्नर का एक स्टेटमेंट आया है कि नान-परफार्मिंग असेट्स को हम देख रहे हैं और अब ये 45 परसेंट हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कदाचार में नान-परफार्मिंग असेट्स भी आते हैं? यदि आते हैं तो कानूनी कार्यवाही करने के बजाय इन्हें विजिलेंस को क्यों रेफर किया जाता है?

श्री जसवंत सिंह: नहीं, नान-परफार्मिंग असेट्स कदाचार में नहीं आते। एक बैंक से उधार लिया गया और उस को नहीं चुका पाए तो उस उधार को वसूल करने के दूसरे साधन हैं। यह कदाचार का हिस्सा नहीं बनता और विजिलेंस कमीशन के केसेज की जानकारी माननीय सदस्य को दी जा चुकी है।